UPRN040061702023

न्यायालयः अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट संख्या-4, कानपुर देहात ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-831/2023

सरकार बनाम नवाब सिंह ।

मु०अ०सं०-211/2021
धारा-452,323,504,506 भा०द०सं०
थाना-डेरापुर, कानपुर देहात।

दिनांकः 21.03.2023

अभियुक्त नवाब सिंह पुत्र स्व० शिवरतन सिंह, निवासी-वार्ड नं० 7, शास्त्री नगर, थाना-रूरा, जिला-कानपुर देहात की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत मु०अ०सं० 211/2021, धारा-452,323,504,506 भा०द०सं०,थाना-डेरापुर, कानपुर देहात में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उसे उपरोक्त मुकदमें फर्जी फसाया गया है, अभियुक्त निर्दोष है। अतः उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त पर गैर जमानती अपराध का आरोप है इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का तर्क प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है तथा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जमानत का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त नवाब सिंह पुत्र स्व० शिवरतन सिंह, निवासी-वार्ड नं० 7, शास्त्री नगर, थाना-रूरा, जिला-कानपुर देहात की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत मु०अ०सं० 211/2021, धारा-452,323,504,506 भा०द०सं०,थाना-डेरापुर, कानपुर देहात में उसके द्वारा बीस-बीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानते दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है। साथ ही अभियुक्त इस आशय की अण्डरटेंकिग प्रस्तुत करे कि वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा व विवेचना में पुलिस या विवेचक को सहयोग करेगा। यदि उनके द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया गया तो यह आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा।

(अवंतिका प्रभाकर)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/
कोर्ट संख्या-4, कानपुर देहात।
(UP ID:-2618)

दिनांकः 21.03.2023

Digitally signed by AVANTIKA PRABHAKAR
Date: 2023.03.28 15:46:57 IST
Reason: Avantika Prabhakar
Location: ACJ-JD-4, KD